केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	17/2/25	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे/अवकाश पर आगामी कार्यवाही हेतु दिन... 10/3/25 को पेश हो।
	10/3/25	प. का. ईपा तहसीलदार चौमू के फैसला प्राप्त हुये जो शामिल पत्रावली किया गया। अभिलेख व पत्र कागजात की जमाबन्दी के आधार पर उपरोक्त फैसला के वादी का पाइ अन्तिम डिक्री किया जाता है। निर्णय उपरान्त के लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल उपरान्त होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) चौमूँ, जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रैक/मु0) चौमूँ, जिला–जयपुर
पीठासीन अधिकारी :–कनक जैन(R.A.S.)

मुकदमा नं0:–33/2023

उनवान

1. रविदत्त पुत्र हजारीलाल जाति ब्राहाम्ण, निवासी ग्राम बरवाडा तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

–वादी–

बनाम

1. जगदीश पुत्र बदरी (नाम हजफ)
2. रामेश्वर पुत्र बदरी
3. उषा देवी पत्नी स्व. सोमदत्त
4. सचिन पुत्र स्व. सोमदत्त
5. हेतेन्द्र पुत्र स्व. सोमदत्त

समस्त जाति ब्राहाम्ण, निवासी ग्राम बरवाडा तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

6. उपपंजीयक, उपपंजीयन कार्यालय चौमूँ, तहसील चौमूँ जिला जयपुर (राज.)।
7. उपपंजीयक, उपपंजीयन कार्यालय खेजरोली, उपतहसील खेजरोली, जिला जयपुर (राज)।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
9. उपतहसीलदार खेजरोली, उपतहसील खेजरोली, जिला जयपुर।
10. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैकं, जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा नांगल भरडा, तहसील चौमूँ, जिल जयपुर।
11. गंगा देवी पत्नी नानूलाल
12. घीसी देवी पत्नी रामचन्द्र
13. रामेश्वरी देवी पत्नी चौथमल
14. श्रवण देवी पत्नी रघुनाथ
15. संतोष देवी पत्नी मुरलीधर

समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम बरवाडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबततकासमाएवं स्थाई निषेधाज्ञा
वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
निर्णय

दिनांक :–10.03.2025

पत्रावली पेश हुई, वकील वादी उपस्थित। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 08.11.2024 को उक्त वाद में प्राथमिक डिक्री कि जाकर तहसीलदार चौमूं को वाद में विभाजन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार चौमूं से कुर्रेजात प्रस्ताव प्राप्त हो चुके है जिस पर बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया गया। वाद पत्र तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा का है व अवलोकन से स्पष्ट है कि कुर्रेजात प्रस्ताव सभी काश्तकारों के रिकॉर्ड व मौके के अनुसार व रास्ते की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। जो न्यायालय के आदेशानुसार बनाई गई है। जिसमें कोई त्रुटि नहीं पाई गई है।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
चौमूँ,जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 06.02.2025 वाद को अन्तिम डिक्री किया जाता है एवं ...त भूमि खाता संख्या 225 के खसरा नम्बर 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 982, 983, 984, 985/1629, 987/1630, 1212/1620 कुल किता 13 का कुल रकबा 4.44 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम बरवाडा, पटवार हल्का अमरपुरा, भू. अभि. नि. क्षैत्र नांगलभरडा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर का बंटवारा निम्नानुसार किया जाता है।

1. उषा देवी पत्नि स्व0 सोमदत्त सचिन महेन्द्र पिता सोमदत्त हि.ब.हि. जाति ब्राम्हण सा0देह खातेदार का आराजी खसरा नम्बर 964/1 रकबा 0.61 है0 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.61 है0 भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
2. रविदत्त पुत्र हजारीलाल हिस्सा पूर्ण जाति ब्राम्हण सा0देह खातेदार राहिन हिस्सा 111/161 रा0म0ग्रा0बैंक शाखा नांलगभरडा को आराजी खसरा नम्बर 984/2 रकबा 0.20 है0, खसरा नम्बर 967/2 रकबा 0.26 है0, खसरा नम्बर 968 रकबा 0.47 है0, खसरा नम्बर 969 रकबा 0.65 है0, खसरा नम्बर 970 रकबा 0.03 है0 कुल किता 5 का कुल रकबा 1.61 है0 भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

उक्तानुसार पर्चा लगान अलग अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 10.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फा0 ट्र0/मुख्यालय)चौमूँ

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
चौमूं,जयपुर (...)

Scanned with OKEN Scanner